

पुस्तक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

8-11-21

पन्नावली प्रशासन गाव के सण अभियान 2021
के अंतर्गत सुल्तानपुर उद्योग में प्रेषण
शु. 38-निरीक्षण दाय प्रशासन की प्रतिक्रिया
अज्ञाने प्राप्त जायें कर जांच रिपोर्ट प्रेषण
की गई 20-पन्नावली की गई प्रतिक्रिया
प्राप्त कर 20-पन्नावली प्रतिक्रिया प्रेषण
प्रतिक्रिया प्रेषण प्रतिक्रिया प्रेषण प्रेषण
प्रतिक्रिया प्रेषण प्रतिक्रिया प्रेषण प्रेषण
प्रतिक्रिया प्रेषण प्रतिक्रिया प्रेषण प्रेषण
प्रतिक्रिया प्रेषण प्रतिक्रिया प्रेषण प्रेषण

उपसंहार अधिकारी
नाम (बन्दी)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज0

40 / प्रा0प0 / 2020
दायरा दिनांक 13.08.2020

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बचनवान

1. राजेन्द्र कुमार मीणा उर्फ पप्पू आत्मज मोडुलाल जाति मीणा निवासी ग्राम उत्तराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार महोदय, इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।


– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट
उपस्थित :- 1. राजेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट प्रार्थी की ओर से।

–: निर्णय :-

दिनांक :- 09.11.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या नया 68 पुराना 70 में भूमि खसरा नं0 625 रकबा 0.04 है0 किस्म गैर मुमकीन चाह, अन्य सह खातेदारों के साथ प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में पप्पू पुत्र मोडुलाल जाति मीणा अकिंत हो रहा है। तथा इसी प्रकार खाता संख्या नया 67 पुराना 69 में भूमि खसरा नं0 1016 ,1021 ,218 ,236 ,237, 238, 239, 599, 621, 623, 627, 628, 630, 970, 971, 985 कुल खसरा संख्या 16 कुल रकबा 6.32 है0 ग्राम उत्तराना में स्थित है। जिसमें अन्य सह खातेदारों के साथ प्रार्थी का नाम खातेदार के रूप में पप्पू पुत्र मोडुलाल जाति मीणा अकिंत है। प्रार्थी का वास्तविक नाम


उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

राजेन्द्र पुत्र मोडुलाल है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में कई बार राजस्व अधिकारियों को इन्द्राज दुरुस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी और अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थी की सहखातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 67 एवं 68 में दर्ज प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र मोडुलाल के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र मोडुलाल दर्ज किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किये जाने पर पत्रावली को प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में चिन्हित किया जाकर ग्राम पंचायत मुख्यालय उत्तराना में रखा गया। शिविर मजमे आम भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ से जांच करवाई जाकर मौका पर्चा जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के पप्पू व राजेन्द्र कुमार एक ही व्यक्ति का नाम होना जाहिर किया है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि जमाबन्दी सम्वंत 2072-75 के खाता संख्या 69 वाके ग्राम उत्तराना के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम पप्पू उर्फ राजेन्द्र पुत्र मोडु दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वंत 2072-75 के खाता संख्या 67, 68, 69 की नकल जमाबन्दी स्वयं का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र की छायाप्रतियां पेश की है।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट फर्द मौका रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र मोडुलाल दर्ज है एवं प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वंत 2072-75 के खाता संख्या 69 में प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ राजेन्द्र पुत्र मोडु दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेश दिया जाता है कि जमाबन्दी सम्वंत 2072-75 के खाता संख्या 67 एवं 68 वाके ग्राम उत्तराना में दर्ज प्रार्थी का नाम पप्पू आ0 मोडुलाल को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर पप्पू उर्फ राजेन्द्र पुत्र मोडुलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)